

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1978/आश्विन 5, 1900
No. 446] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1978/ASVINA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1978

का. आ. 577(अ).—केंद्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (नागरवाला कांड से संबंधित जांच आयोग संबंधी) भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं. का. आ. 871 (अ) और 24 जून, 1978 की अधिसूचना सं. का. आ. 1964 के साथ पीठित इस मंत्रालय की दिनांक 9 जून, 1977 की अधिसूचना सं. का. आ. 389 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में “30 सितम्बर, 1978 या उससे पहले” शब्दों और अंकों के स्थान पर “31 अक्टूबर, 1978 या उससे पहले” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 8/11022/5/77-कम. सैंक.]

पी. पी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1978

S.O. 577(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 389(E) dated the 9th June, 1977 (relating to the Commission of Inquiry on the Nagarwala Affairs), read with this Ministry's Notification S.O. No. 871(E) dated the 31st December, 1977 and S.O. No. 1964 dated the 24th June, 1978, namely :—

In para 4 of the said notification for words and figures "On or before the 30th day of September, 1978" the words and figures "On or before the 31st day of October, 1978" shall be substituted.

[File No. VI/11022/5/77-Com. Sec.]

P. P. SHRIVASTAVA, Joint Secy.